20रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
2 रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – अनूपपुर

अपील – 5606/2018/ अनूपपुर/ आ० अ०

मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड, नौगांव जिला – छतरपुर (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रीवा (म.प्र.)

2– जिला आबकारी अधिकारी जिला – अनूपपुर म.प्र.

3– प्रभारी अधिकारी मैसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड, नौगांव जिला–छतरपुर (म.प्र.)

.... प्रत्यर्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि० 06-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27-9-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठां. क्रमांक 5 (1)/2018–19/4258 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना एवं समक्ष में सुनवाई किये बिना जो आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र दिये बिना ही कार्यवाही की गयी थी। जबकि वास्तविकता यह है कि आसवक को वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला अनूपपुर मद्यभाण्डागारों पर एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कॉच की बोतलो में नहीं रखा गया। इसका आरोप अपीलार्थी कम्पनी पर लगाया गया है, जबकि इस समयावधि में उसके द्वारा कॉच की बोतलो में मदिरा का संग्रह रखा गया था। इसका कारण यह है क्योंकि प्रश्नाधीन अवधि में जिला अनूपपुर

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल
अग्रिम प्रति 408
पृष्ठ संख्या 1 से 3
हस्ताक्षर व नाम 06-09-18

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(36)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-5606/2018/अनूपपुर/

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.06.2019	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/4258 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा-62(2)-सी के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)2014-15/1153 दिनांक 29.07.2017 द्वारा अपीलार्थी कंपनी को वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला अनूपपुर के मद्यभण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए थे। जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कंपनी द्वारा जिला अनूपपुर के स्टोरेज मद्यभण्डागारों में अवधि माह अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है। अपीलार्थी कंपनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। जिसका उत्तर नहीं दिए जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/4258 में दिनांक 06.08.2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कंपनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किए जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कंपनी पर रुपये 60,000/- शास्ति आरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कंपनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभण्डागार, अनूपपुर पर अवधि माह माह अप्रैल 2015 से मार्च 2016 एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा... आदि के हस्ताक्षर

संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने से रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 91,250/- इस प्रकार कुल 1,51,250/- की शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपीलार्थी कंपनी द्वारा निर्धारित अवधि में न्यूनतम संग्रह नहीं रखने के कारण राज्य शासन को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई और न ही प्रदाय प्रभावित हुआ और न ही किसी भी फुटकर लाइसेंसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से की है। अतः इस प्रकार कंपनी के उक्त कृत्य से राज्य शासन को क्या हानि हुई है यह एक कल्पना मात्र है। इस प्रकार प्रमाण के अभाव में जो शास्ति अपीलार्थी कंपनी पर लगाई गई है, वह निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी कंपनी एवं राज्य शासन के बीच एक संविदा है तथ संविदा के संदर्भ में भारतीय संविदा अधिनियम 1972 की धारा 74 के प्रावधानों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है तब ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कंपनी पर शास्ति नहीं लगायी जा सकती। इन वैधानिक प्रश्नों पर विचार किए बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी कंपनी द्वारा जो कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, उन पर विचार किए बिना और न ही उनके आदेश का उल्लेख किए बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किए जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपीलार्थी कंपनी को आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-5606/2018/अनूपपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	05(1)/2016-17/3793 दिनांक 24.07.2017 प्रेषित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी तामीली अपीलार्थी कंपनी को कराई गई है। जिसके उपरांत भी कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी कंपनी के ऊपर म.प्र. देशी स्प्रिट नियम नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किए जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अनियमितता एवं विहित प्रावधान के उल्लंघन होने पर रुपये 33,750/- की शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त आधार पर उनके द्वारा यह अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र अनूपपुर के स्टोरेज मद्यभण्डागारों में अवधि माह अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार अपीलार्थी को स्टोरेज मद्यभण्डागारों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखना अनिवार्य है। अपीलार्थी द्वारा एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखने से, भले ही शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परंतु अपीलार्थी द्वारा विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है, जिसका पालन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है। अत: अपीलार्थी का उक्त कृत्य दण्डनीय है। उपरोक्त स्थिति में	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा सूचना-पत्र जारी किया गया, परंतु अपीलार्थी द्वारा उसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।उक्त स्थिति में आवेदक का यह तर्क भी मान्य योग्य नहीं है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अत: आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि मद्यभण्डागारों देशी मदिरा की भरी हुई बोतलों का निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना विहित वैधानिक व्यवस्था है एवं आसवक इसका पालन करने के लिए बाध्य है। अत: अपीलार्थी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किए जाने से अपीलार्थी का उक्त कृत्य नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	